

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला-बाड़मेर

शिव पुत्र नूरा व अन्य कौम मुसलमान (9)
 निवासी नीम्बलानाडा तहसील शिव व अन्य

बनाम

रोजा पुत्र मिठा व अन्य कौम मुसलमान (26)
 निवासी नीम्बलानाडा तहसील शिव व अन्य


किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा. का. अधिनियम

मुकदमा नम्बर 238/2015

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19-10-15	वादीगण के वकील श्री बृजमोहन कुमावत ने यह वाद धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 06-10-2015 को पेश हो। 24-12-15 सहायक कलक्टर, शिव सहायक कलक्टर (SDO) शिव	3544 28/10/15
24-12-15	वादीगण के वकील उपर। प्रतिवादीगण के सम्मन तलब नहीं लगे हैं, इन्जाम होना पत्रावली मगना 28.1.16 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
28.01.16	वादीगण के वकील उपर। प्रतिवादीगण के सम्मन तलब नहीं लगे हैं, इन्जाम होना पत्रावली दि. 29.02.16 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
29.02.16	वादीगण के वकील उपर। प्रतिवादीगण के सम्मन तलब नहीं लगे हैं, इन्जाम होना दि. 08.04.16 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

27.4.26

पत्रावली पेश / वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली वादी संस्था के कायम मुकाम
की कार्यवाही व 7DR शिव से विभाजन
पत्राव का इन्जार् होकर दिनांक 11.5.26
को पेश हो।


सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)


11.5.26

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 21.5.26 को पेश हो।

21.05.26

पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील द्वारा नया वाद पेश करने का
अधिकार सुरक्षित रखते हुए, हरमल वाद को
विश्लेषण करने का आदेश-पत्र पेश किया गया।
उक्त आदेश-पत्र पर वादी वकील की उल्ल
खनी गयी। चूंकि उक्त आदेश-पत्र में पक्षकारानु
के फॉर होने व रिकॉर्ड में हिल्ला बहल जाने
के कारण, अपने अभिवक्तियों में संशोधन हेतु
नया वाद ~~पेश~~ करने का अधिकार सुरक्षित
रखते हुए, उक्त वाद विद्वानों करने का अनुतोष
चाहा गया है। किन्ती वाद में पक्षकारानु के
फॉर हो जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में हिल्ला
अलगा दर्ज होने लें। वादी नये सिरे लें
वाद पेश करने का अधिकारी हैं। अतः
वादी वकील द्वारा उक्त आदेश-पत्र लीक
किया गया, वादी का नया वाद पेश
करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए,
उक्त वाद उली स्टेशन पर जरिये विद्वानों
अभियोजन किया जाता है।

पत्रावली नंबर से काम होकर, राजिल टक्कर लो


सहायक कलक्टर
शिव (वाड़मेर)